



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245659
CG-DL-E-04052023-245659

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1969]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 1969]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2057(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 962 (अ) तारीख 01 मार्च, 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस-वे NE-6 के कि.मी. 28.050 से कि.मी.73.700 तक के भूखण्ड के निर्माण (4 लेन/6 लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "तारीख 14 मार्च, 2023 " को "दैनिक जागरण हिन्दी में" और "द इंडियन एक्सप्रेस" अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस-वे NE-6 के कि.मी. 28.050 से कि.मी.73.700 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित और संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: उन्नाव		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: हसनगंज				
	गांव का नाम: तेंदुवाहिरन कुढ़ी				
1	328	निजी	कृषि	0.095	पुत्तिलाल पुत्र मक्का निधानखेड़ा म0 ग्राम धर्मेन्द्र सिंह पुत्र कृष्ण सिंह नि0बल्लू खेड़ा म0ग्राम तहसील हसनगंज जनपद उन्नाव (328)
2	329	निजी	कृषि	0.061	रामसिंह, परसुराम सिंह, जगदीश सिंह पुत्रगण सरवन सिंह प्रमोद कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह पुत्रगण सूबेदार सिंह श्रीमती कलावती पत्नी सूबेदार सिंह नि.निधानखेड़ा म0 ग्राम तहसील हसनगंज जनपद उन्नाव (329)
3	331	सरकारी	गैरकृषि	0.031	बंजर पेड़दार (331)
			कुल	0.1870	

[फा. सं. NHAI/25016/LA/2018/Notification/PIU/Lucknow/3D1]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2057(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number S.O. 962 (E) dated 01 March, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (four lain with paved Shoulder/Six laning , etc.), maintenance, management and operation of Kanpur-Lucknow Expressway NE-6 in the stretch of land from Km 28.050 to Km 73.700 in the district of UNNAO in the state of UTTAR PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Jagaran” and “The Indian Express” both dated 14 March, 2023 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling Kanpur-Lucknow Expressway NE-6 in the stretch of land from Km. 28.050 to Km. 73.700 in the district of UNNAO in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: UNNAO		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Hasanganj				
	Village: Tendewa Heeran Kuddi				
1	328	Private	Agriculture	0.095	Puttilal S/o Makka R/o Nidhankheda M. Village Dharmendra Singh S/o Krisna Singh R/o Ballu Kheda M. Village Tehsil Hasanganj District Unnao 328
2	329	Private	Agriculture	0.061	Ram Singh, Parasuram Singh, Jagdish Singh S/o Pramod Kumar Singh Vinod Kumar S/o Subedar Singh Smt. Kalawati W/o Subedar Singh R/o Nidhankheda M. Village Tehsil Hasanganj District Unnao 329

3	331	Government	Non-Agriculture	0.031	Banzer Peddar. 331
			TOTAL	0.1870	

[F. No. NHAI/25016/LA/2018/Notification/PIU/Lucknow/3D1]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.